SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Supreme Court and High Court

Lecture :- 11

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR Scan

- आधार { 356 - संवैधानिक तंत्र का विफल होना
  365 - जब राज्य, केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न करे।
- घोषणा- राष्ट्रपति
- मंजूरी - संसद (within 2 months)
  - साधारण बहुमत से
  मंजूरी मिलने पर 6 महीनो तक।
  अधिकतम समय = 3 वर्ष
- हटाना - राष्ट्रपति द्वारा कभी भी।
  संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नही।
- प्रभाव - मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नही।
  मंत्रिपरिषद (coms) को बरखास्त कर दिया जाता।
  राज्यविधानसभा को निलंबित कर दिया जाता।

SR बोम्बई मामला संबंधित

- पहली बार राष्ट्रपति शासन - पंजाब (1951)
  - अधिकतम बार - मणिपुर (10 बार)
    UP (9 बार)

भाग-V सर्वोच्च न्यायालय

अनु० - 124 - 147

अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन।

(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश होगे और जब तक संसद कानून द्वारा बडी संख्या निर्धारित नही करती है, तब तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नही होगे।

PARMAR SSC

② सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और धारण करेगा। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वह पद पर रहेगा।

Judges Case : ④ 1st - 1982 2nd - 1993 3rd - 1998

99 वां संविधान संशोधन 2014 = जजों का समूह (Collegium) = राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

'SP गुप्ता मामला'

×

4th → 99th संवि. संशोधन = असंवैधानिक

NJAC ⟶ Collegium

जजो की नियुक्ति की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।

(A) एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर, अपना पद त्याग सकता है।

(B) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में दिये गये तरीके से उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

③ नियुक्ति के लिये योग्य

- 5 साल तक किसी भी HC में जज
  या
- 10 साल तक वकील ,, ,,
  या
- राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो।

④ उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन

PARMAR SSC

के अभिभाषण के बाद उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और कम-से-कम 2/3 के बहुमत से पारित राष्ट्रपति का आदेश पारित न हो जाये। उस सदन मे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो की संख्या को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए उसी सत्र मे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 :

LS - 100
RS - 50
} → 3 सदसीय समिति
↓
विशेष बहुमत

'रामास्वामी'
↳ महाभियोग का प्रस्ताव
↳ 1991

⑤ वे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते है।

⑥ कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे पद संभाला है, वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत मे या किसी प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नही करेगा।

अनुच्छेद 125: न्यायाधीशो के वेतन आदि।

① वेतन जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

② ऐसे विशेषाधिकारो और भत्तो का हकदार होगा जो समय-2 पर संसद द्वारा बनाये गये कानून के तहत निर्धारित किये जाएं।

अनुच्छेद 126: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है

↳ तब कर्तव्यो का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशो मे से एक द्वारा किया जायेगा।

(राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)

PARMAR SSC

अनुच्छेद 127 : तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति /
जब कोई जज अनुपस्थित हो /

⊙ मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर नियुक्त

अनुच्छेद 128 : उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति /

अनुच्छेद 129 : उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा /

अनुच्छेद 130 : उच्चतम न्यायालय की सीट /

Delhi → CJI → राष्ट्रपति

अनुच्छेद 131 : सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार /

विवाद :
- ⊙ भारत सरकार Vs एक या अधिक राज्य
- ⊙ भारत सरकार + एक राज्य Vs राज्य / राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच
- ⊙ दो या अधिक राज्यों के बीच

अनुच्छेद 132 : कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार /

अनुच्छेद 133 : सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार /
(शादि, तलाक, संपत्ति)

अनुच्छेद 134 : आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार /
(मृत्यु , हत्या)

अनुच्छेद 135 : मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जायेगी /

PARMAR SSC

अनुच्छेद 136: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति।

अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा।

अनुच्छेद 138: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार।

↳ संसद द्वारा

अनुच्छेद 139: सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना।

अनुच्छेद 140: सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।

अनुच्छेद 142: उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश।

1984 - भोपाल गैस त्रासदी → यूनियन कार्बाइड
(मिथाईल आइसो सायनेट)

(शक्तियों का बटवारा) (Judicial activism

सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो

अनुच्छेद 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद 144: नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना।

124	125	126	127	128	129	130	131
SC	S	A	A	R	C	Seat	offer
स्थापना	Salaries	acting Judges	Adhoc Judge	Retired Judge	Court of Record	Delhi as a seat of SC	OJ

PARMAR SSC

132 }
133 } अपीलीय क्षेत्राधिकार
134 }

भाग - 6 "उच्च न्यायालय"

अनु० : 214 - 231

214 : उच्च न्यायालय की स्थापना

215 : उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा।

216 : उच्च न्यायालय की संरचना।

मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश (संसद द्वारा निर्धारित)

217 : (1) मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा) — अधिकतम उम्र = 62

परामर्श - Collegium

ⓐ त्यागपत्र → राष्ट्रपति

ⓑ हटाना → सर्वोच्च के जज की भाँति { साबित कदाचार, अक्षमता }

└→ राष्ट्रपति द्वारा

(2) योग्यता : भारत का नागरिक

10 वर्ष HC का वकील

10 वर्ष तक कोई न्यायिक कार्यालय hold किया हो।

HC में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है।

218 : उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालयों में लागू करना।

219 : शपथ → राज्यपाल

220 : जो उच्चन्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण

PARMAR SSC

किया है वह SC और HC के सिवाय भारत मे किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नही करेगा।

221: वेतन (राज्य की संचित निधि से) पेंशन (भारत की संचित निधि से)

222: न्यायाधिशो का स्थानांनतरण

↳ राष्ट्रपति (मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर)

223: कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

224: अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशो की नियुक्ति।

225: क्षेत्राधिकार

MPs Vs MLAs के चुनाव का विवाद

HC का अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके मूल क्षेत्राधिकार से बड़ा है।

226: रिट क्षेत्राधिकार (उच्च न्यायालय)

↳ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा

227: उच्च न्यायालयो को अधीनस्थ न्यायालयो और न्यायाधिकरणो के अधीक्षण का अधिकार है।

228: X

229: X

230: उच्च न्यायालयो की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रो पर विस्तार।

↳ संसद द्वारा दिया गया अधिकार

A & N → कलकत्ता HC

लक्षद्वीप → कोच्ची (केरल)

दादर नगर हवेली → महाराष्ट्र

पुदुचेरी → मद्रास HC (TN)

231: दो या दो से अधिक राज्यो का एक उच्च न्यायालय।

(7 वा संविधान संशोधन)

PARMAR SSC

	214	215	216
N X	H HC	R Court of Record	C Constitution

A	A	O		R	E	S	T
217	218	219		220 Restriction	~~221~~ X	221	223
Appoint-ment	Application of certain provisions	Oath				Salary	Transfer

" अधीनस्थ न्यायालय "

भाग-6

अनुच्छेद 233 : जजो की नियुक्ति (जिला जज)

↳ राज्यपाल (HC की सलाह पर)

234 : न्यायिक सेवा के लिए जिला न्यायाधीशो के अलावा अन्य व्यक्तियो की भर्ती के बारे मे।

→ सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन - 28 जनवरी 1950

PARMAR SSC